



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

मीठापुर, पटना-800 001

दूरभाष:-0612-2351919, ई-मेल:-akuniv10@gmail.com

कार्यालय आदेश

बिहार में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक मा०शि०-स्था'ख'-171/2016/793 दिनांक 04.04.2021 एवं गृह विभाग के संयुक्तादेश ज्ञापांक-जी/आपदा-06-02/2020 (वि०स०को०) 34 दिनांक 03.04.2021 में दिए गए निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

1. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी पूर्व की भांति कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे।
2. कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा।
3. कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न होनेवाले लक्षण किसी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी में दृष्टिगत हो तो तत्काल उचित चिकित्सीय सलाह के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सूचित करेंगे।
4. नैनोविज्ञान एवं नैनोप्रौद्योगिकी केन्द्र में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की ऑनलाईन कक्षा का संचालन संबंधित शिक्षक द्वारा किया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय परिसर में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा एवं इस संबंध में पूर्व के निर्गत आदेश इस हद तक अद्यतन समझे जाएंगे।

कुलपति के आदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव (प्र०)

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांक : 003/Admn/001/AKU/2014 (II) - 1394

दिनांक:-05.04.2021

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निजी सहायक, प्रतिकुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं प्रभारी (प्रशासनिक/शैक्षणिक), नैनोविज्ञान एवं नैनोप्रौद्योगिकी केन्द्र को सूचनार्थः.
2. सभी पदाधिकारियों, कर्मियों (संविदा/आउटसोर्स सहित) एवं सुरक्षा सुपरवाइजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. श्री विशाल रत्न कुमार, वेब प्रोग्रामर को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कुलसचिव (प्र०)

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।